# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 83/2018** **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. प्रमोदसिंह पुत्र श्री बलजीतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग अशोका टाकीज के पास कचहरी रोड अलवर राजस्थान,
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर राजस्थान।

..... रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. श्री रिपुदमन सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजबहादुर जांगिड़, रेस्पोडेण्ट।

**::: निर्णय :::** **दिनांक :– 31.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 06.08.2018 मुकदमा संख्या 2/86/2018 बउनवान प्रमोद सिंह बनाम मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 60 ऐयर वाके ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा का रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी/अपीलाण्ट की कब्जेकाश्त खातेदारी आराजी में से होकर रास्ता कभी नहीं रहा है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अपनी विवादित आराजी में फसल बो रखी है। अब अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट प्रार्थी को जबरन बेदखल कर इसमें से होकर गौरव पथ रास्ता का निर्माण करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने और अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी हाल खसरा नम्बर 404 रकबा 60 ऐयर पर जबरन बेदखल न करने व जबरन निर्माण कार्य न करने हेतु प्रार्थना की गई। अदालत मातहत

द्वारा उभयपक्षकारान को विधिवत सुनकर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 06.08.2018 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण जबरन गौरवपथ रास्ता निर्माण करना चाहते हैं एवं अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 दिनांक 26.07.2018 को जब कार्य करने आए तो सबसे पहले जानकारी हुई कि निर्माण कार्य जबरन करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण ऐसा कर पाने में सफल रहे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और अंत में निवेदन किया कि दिनांक 06.08.2018 को बिना आवाज लगाये एक तरफा कार्यवाही कर मुन्तकिली प्रार्थनापत्र की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का खिलाफ कानून व मौका दिनांक 06.08.2018 को निर्णय जेर बहस अपील कर दिया गया, जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर गौरव पथ योजना के तहत रास्ते का निर्माण कराना चाहते है। जबकि प्रार्थी की आराजी में किसी भी प्रकार का रास्ता ना तो पूर्व में था और ना ही वर्तमान में है। उक्त रास्ता निर्माण हेतु किसी प्रकारा का कोई प्रस्ताव तथा राज्य सरकार से विवादित आराजी का गौरव पथ बनवाने की स्वीकृति नही ली गई है। विवादित आराजी ना तो अवाप्त की गई है ना ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया है तथा ना ही किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही की गई है। दिनांक 06.08.2018 को बिना आवाज लगाये एक तरफा कार्यवाही कर मुन्तकिली प्रार्थनापत्र की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का खिलाफ कानून व मौका दिनांक 06.08.2018 को निर्णय जेर बहस अपील कर दिया गया, जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण राजस्व रिकार्ड में पूर्व उपलब्ध ग्रेवल रास्ते पर ही बनाया जा रहा है। कोई नवीन रास्ते का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिस रास्ते का ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कराया जा रहा है वहां की आबादी जमालपुर ग्राम में सम्मिलित है। इस प्रकार विवादित आराजी पर कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है, जब प्रार्थी की आराजी पर किसी प्रकार का ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण ही नहीं किया जा रहा है तो आराजी अवाप्त एवं किसी प्रकार का मुआवजा दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2018 का अवलोकन किया।

तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/18/827 दिनांक 03.08.2018 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम जमालपुर जो कि जमाबन्दी

सम्वत 2072–75 खाता सं0 84 खसरा नं. 404 रकबा 0.60 है0 चाही सोयम में मौके पर बाजरा की फसल बो रखी है। उक्त आराजी खसरा नं0 के उत्तर दिशा की मेड से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 407 में सीमेन्ट कंक्रीट का रोड बना हुआ है रोड की चौडाई 3.80 मी0 है। उपस्थित मौतविरान ने बताया की यहां से पूर्व से ही ग्रेवल सड़क बनी हुयी थी। जमाबन्दी संवत् 2072–75 ग्राम जमालपुर पटवारी हल्का जमालपुर तहसील मालाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 407 सिवाय चक बिला लगानी दर्ज रिकॉर्ड है।

रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेडा के अनुसार उक्त सार्वजनिक खसरा नम्बर 407 पर ही सडक बनाई गई है, जिससे अपीलाण्ट के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 06.08.2018 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर